GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 83 /89

No.: E(NG)I/85/PM1/13/RRC New Delhi, dated: 23/03/1989

The General Managers (P),
All Indian Railways,
(As per standard list attached).

Sub: Recommendation of Railway Reforms Committee in part IX of their report on "Personnel" matters- instructions regarding two years service in the immediate lower grade for promotion within Group 'C'.

-.-.-

Reference this Ministry's letter of even number dated 19/2/87 stipulating interalia that for promotion within Group 'C' staff should render a minimum of two years service in the immediate lower grade for promotion to higher grade and clarification issued under Board's letter of even number dated 4/11/87. It may be noted that no minimum service conditions have been prescribed for promotions within Group 'D'.

References have been received from some Railways seeking further clarifications with reference to the instructions contained in Board's letters referred to above. These points are clarified as under:

a)	Whether the instructions regarding going down to the next lower grade when the requisite number of candidates is not available in the immediate lower grade for promotion to selection posts, stand superceded with the issue of Board's letter No. E(NG)I/85/PM1/13(RRC) dated 19/2/87.	Yes. This has already been clarified vide Board's letter of even number dated 4/11/87.
b)	If the posts are kept unfilled due to candidates with two years service in the immediate lower grade not being available, they will remain frozen necessitating approval of GM or Board for their revival.	In such a situation, the posts should be downgraded and operated in the lower grade.

.....2.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर•बी•ई सं- 83 -/89

सं• ई(एन जी)।/85/पी एम।/13/आर आर सी•   नयी दिल्ली• दि• 23-3-1989

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें

विषय:- "कार्मिक" मामलों से सम्बंधित रेल सुधार समिति की रिपोर्ट के भाग ।x में दी गयी सिफारिश -- ग्रुप "सी" के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के सम्बंध में अनुदेश

- - - - - -

यह पत्र इस मंत्रालय के 19•2•87 के समसंख्यक पत्र के सन्दर्भ में है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि ग्रुप "सी" के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए निकटतम निम्न ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए और इस सम्बंध में बोर्ड के 4•11•87 के समसंख्यक पत्र के अन्तर्गत स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रुप "डी" के अन्तर्गत पदोन्नतियों के लिए कोई न्यूनतम सेवा शर्तें निर्धारित नहीं की गयी है ।

बोर्ड के उपर्युक्त पत्रों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के संदर्भ में, कतिपय रेलों से आगे और स्पष्टीकरण मांगे जाने के पत्र प्राप्त हुए हैं। ये मुद्दे नीचे स्पष्ट किये गये हैं:-

(क)	क्या जब प्रवरण पदों में पदोन्नति के लिए निकटतम निम्न ग्रेड में उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं हो तो अगले निम्न ग्रेड में पदोन्नति से सम्बंधित अनुदेशों बोर्ड के 19•2•87 के पत्र सं• ई(एन जी) ।/85/पी एम ।/13 (आर आर सी) जारी करने से अतिक्रमण होता है ।	जी हां । इसे बोर्ड के 4•11•87 के समसंख्यक पत्र द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है ।
(ख)	यदि निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा वाले उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर पदों को नहीं भरा जाता है तो उनका पुन: प्रवर्तन करने के लिए महाप्रबंधक या बोर्ड के आवश्यक अनुमोदन हेतु खाली रखा जाता है ।	ऐसी स्थिति में पदों को डाउनग्रेड करके निम्न ग्रेड में परिचालित किया जाये ।

-2-

c)	The incidence of de-reservation will increase, as reserved community candidates may not be available with the two years service in the immediate lower grade.	This cannot be helped. However, as the railways are aware, condition of the minimum service has to be fulfilled at the time of actual promotion.
d)	Whether the condition of two years service in the immediate lower grade is applicable in respect of promotion to the post of Junior Accounts Asstt., where passing of Appx.II Exam. is precondition.	Yes.
e)	For promotion to the posts of Accounts Assistant and Sr. Section Officer (Accounts) minimum period of three years service in the lower grade has been prescribed.	This will continue to hold good in terms of para 2(IV) of the Board's letter No.E(NG)I/85/PM1/13(RRC) dated 19/2/87.
f)	Whether the condition of two years' service in the immediate lower grade has to be fulfilled for filling up short-term vacancies on adhoc basis.	Yes. Posts should be downgraded if eligible employees are not available.
g)	As service rendered on ad-hoc basis is taken into account for the purpose of reckoning two years period if it is followed by regularisation, there may not be any objection to adhoc promotions being made against long-term vacancies also by senior most staff who have not completed two years' service in the immediate lower grade.	No. Even for adhoc promotions employees should have completed two year's service in the immediate lower grade. This adhoc service will count for promotion to the next higher grade only, if followed by regularisation without break.
h)	Whether a person working, say in Grade 'C', but holding currently an ex-cadre post and promoted to the next higher grade 'B' in his parent cadre on proforma basis, can be considered for the still higher	The fact that he had not held the post physically for a period of two years or has not held it at all, should not make a difference for eligibility so long as on the basis of proforma promotion

......3.

(ग)	अनारक्षण मामले में वृद्धि होगी क्योंकि निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा वाले आरक्षित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं ।	इससे कोई सहायता नहीं की जा सकती । बहरहाल, जैसा कि रेलें जानती हैं कि न्यूनतम सेवा की शर्त वास्तविक पदोन्नति के समय पूरी की जानी होती है ।
(घ)	क्या निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की शर्त उन कनिष्ठ लेखा सहायक के पद के लिए पदोन्नति के सम्बंध में लागू होती है, जहां अप्रेन्डिक्स -।। परीक्षा पास करने की पूर्व शर्त है ।	जी हां ।
(ङ•)	लेखा सहायक और वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पदों पर पदोन्नति के लिए निम्न ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित की गयी है ।	यह बोर्ड के 19•2•87 के पत्र सं• ई(एन जी)। 85/पी एम 1/13(आर आर सी) के पैरा 2(11/) के अनुसार लागू रहेगा ।
(च)	क्या अल्प कालिक रिक्तियों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की शर्त पूरी करनी होती है ।	हां, यदि पात्र कर्मचारी उपलब्ध न हो तो पदों को डाउन ग्रेड किया जाये ।
(छ)	यदि तदर्थ आधार पर की गयी सेवा को दो वर्ष की अवधि के बराबर गिना जाये और उसे नियमित सेवा के रूप में माना जाये तो ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों, जिन्होंने निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, द्वारा भी दीर्घकालिक रिक्तियों में की जा रही तदर्थ पदोन्नतियों के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।	जी• नहीं तदर्थ पदोन्नतियों के लिए भी कर्मचारियों को निकटतम निम्न ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है। यह तदर्थ सेवा केवल अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गिनी जायेगी, यदि नियमित सेवा बिना किसी व्यवधान के हो ।

	grade 'A' in his parent cadre with reference to the service in his parent cadre in Grade 'B' rendered proforma. For example, if a Chargeman 'B' works in an ex-cadre post of Protocol Asstt. and during such period he is promoted proforma as Chargeman 'A' can he be considered for the post of Assistant Shop Supdt. without physically holding post of Chargeman 'B' for a period of two years.	he would have rendered two years' service as Chargeman 'A'.
i)	A person volunteers and is selected for another cadre in a post in the same grade as that held by him in his parent cadre. He has to advance further only in the new cadre. Whether the service rendered by him in the same grade in the earlier cadre can be counted towards the two years period.	In such a case the two years' service has to be rendered in the new cadre.
j)	Whether the condition of two years' service is applicable in the case of promotion to posts of Instructors which are ex-cadre and for which men really suitable for the job of teaching are required.	It is not the intention that the two years rule or the rule that promotion should be made only from out of those in the immediate lower grade should apply in such cases.

(This disposes of CPO/SE Railway's D.O.No.P/R/14/314/3 (Policy) dated 26/5/88).

K.B. Lall

(K.B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT (N)
RAILWAY BOARD.

.....4.

(ज)	यदि कोई व्यक्ति ग्रेड"सी" में कार्यरत है लेकिन फिलहाल संवर्ग-ब्राह्य पद पर है और उसे प्रोफार्मा के आधार पर अपने मूल संवर्ग में अगले उच्च ग्रेड "बी" में पदोन्नत कर दिया जाता है तो क्या उसके मामले पर ग्रेड बी प्रोफार्मा में उसकी सेवा के संदर्भ में उसके मूल संवर्ग में उच्चतर ग्रेड"ए" में भी विचार किया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि कोई चार्जमैन "बी" प्रोटोकल सहायक के संवर्ग बाह्य पद पर कार्य करता है और उस अवधि में उसकी चार्जमैन "ए" के रूप में प्रोफार्मा पदोन्नति हो जाती है तो क्या सहायक शाप अधीक्षक के पद के लिए उसके बारे में विचार किया जा सकता है जबकि उसने चार्जमैन "बी" के पद पर वास्तविक रूप में दो वर्ष तक काम नहीं किया है ।	तथ्य यह है कि उन्होंने पद पर वास्तव में दो वर्ष या बिलकुल ही कार्य नहीं किया है तो वह इसके लिए पात्र नहीं है जब तक कि प्रोफार्मा पदोन्नति के आधार पर चार्जमैन "ए" के रूप में उसने दो वर्ष की सेवा पूरी की हो ।
(झ)	ऐसा कोई इच्छुक कर्मचारी जो दूसरे संवर्ग के उसी ग्रेड के पद के लिए चुना जाता है जिस पर वह अपने मूल संवर्ग में था केवल नये संवर्ग में ही उनकी पदोन्नति की जानी है। क्या पहले संवर्ग में उसी ग्रेड में उनके द्वारा की गयी सेवा दो वर्ष की अवधि के लिए गिनी जा सकती है ।	ऐसे मामले में नये संवर्ग में दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।

No.: E(NG)I/85/PM1/13(RRC)   New Delhi, dated: 23/03/1989

Copy to:

(1) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).

(2) The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).

(3) The Members of National Council/Departmental Council and the Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

K. Subramanian
for SECRETARY/RAILWAY BOARD.

Copy to:

PSs to MS and Adviser (S)
SPAs to EDE, EDPC-I & II, EDE(R), DE(P&A), DE(N), DE(C), DE(T&MPP), DF(A).
JDE(N), JDE(R)I, JDE(R)II, JDE(D&A), DDE(R)I, II, DDE(SCT), DD(Code Revision), DDE(G)II & DDE(N), E(NG)II, E(Rep)I, II & III Branches, Railway Board.
E(G) Branch with one spare.
ER-II with 5 spares.

(ण)	क्या दो वर्ष की सेवा की शर्त अनुदेशक के पदों पर पदोन्नति के मामले में लागू होती है जो संवर्ग बाह्य पद है और जिसके लिए वास्तव में शिक्षित करने के कार्य के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की जरूरत होती है।	यह आशय नहीं है कि दो वर्ष का नियम या वह नियम जिसके अन्तर्गत पदोन्नति केवल निकटतम निम्न ग्रेड से की जाती है, ऐसे मामलों में लागू होना चाहिए।

(इससे मु० का०अ०/दक्षिण मध्य रेलवे के 26.5.88 के अ०स० पत्र सं० पी/आर/14/314/3 (पालिसी) का निपटारा हो जाता है)

(के० बी० लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज)
रेलवे बोर्ड

सं० ई(एन जी)I/85/पी एम I/13/आर आर सी नयी दिल्ली, दिनांक: 23-3-1989

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, 4 स्टेट एण्ट्री रोड, नयी दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13 सी फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली।

के. सुब्रामनियण
कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड।